



Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी
मंत्रालय, महानदी द्वार के पास रायपुर, दूरभाष 0771-4068011 फैक्स 4066188

निविदा सूचना

निविदा विज्ञापित क्रमांक 38./VDP-BSUP/CE(E)/NRDA/2009-10, रायपुर, दिनांक 06/01/2011

जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनीवल मिशन के बीएसयूपी योजना के अंतर्गत नया रायपुर में आवास निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित प्रपत्र में लोक निर्माण विभाग एवं अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों में A-5 या समकक्ष श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से जो प्री क्वालीफिकेशन मापदण्ड अनुसार अनुभव रखते हो, निम्नांकित कार्यों के लिए पृथक-पृथक Lumpsum निविदाएं आमंत्रित की जाती है -

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.लाख में)	धरोहर राशि (रु.लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रु.में)	प्री.क्वालीफिकेशन मापदंड		
					पिछले पांच वित्तीय वर्षों में किये गये भवन निर्माण कार्य की लागत (रु. लाख में)	पिछले पांच वर्ष में किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय विभाग में किये गये कम से कम एक कार्य (समान प्रकृति का) की लागत (रु. लाख में)	वित्तीय सक्षमता प्रमाण पत्र की राशि (रु. लाख में)
1.	ग्रुप - सी में 144 यूनिट आवासों का निर्माण कार्य	319.68	3.20	7500/-	480.00	256.00	48.00
2.	ग्रुप - डी में 216 यूनिट आवास का निर्माण कार्य	479.52	4.80	7500/-	720.00	385.00	72.00

सभी कार्यों को करने की समयावधि 12 माह होगी। निविदा आवेदन के साथ वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र, कमर्शियल टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र, शैड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी मूल प्रति में वित्तीय सक्षमता प्रमाण पत्र तथा समान कार्य का सफलता पूर्वक किये जाने बाबत कार्यपालन अभियंता या उच्चतर अधिकारी (या उनके समकक्ष) द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 10.01.2011 से 18.01.2011 तक, अपराह्न 4 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय के लेखा प्रभाग से क्रय किये जा सकते हैं। निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 20.01.2010 अपराह्न 3.30 बजे है। प्राप्त निविदायें उसी दिन खोली जावेंगी। निविदा का विस्तृत ब्यौरा वेबसाइट www.cg.gov.in तथा www.nayaraipur.com पर देखा जा सकता है। निविदा की अन्य शर्तें एवं निविदा सूचना में संशोधन, यदि कोई हो तो, केवल वेब-साइट www.nayaraipur.com में विज्ञापित किये जावेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी